आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12-02-2024	**वाद सं0–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, देवघर वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित। आयोग के 30.01.2024 के आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, न ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और न ही उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हैं। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को निदेश देता है कि वो लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बतायें कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई क्यों ना प्रारम्भ की जाय? इस बीच आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पुनः निदेशित करता है कि वे शिकायतकर्ता को जो राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx64